DOI: 10.51220/hjssh.v3i1.11

Himalayan J. Soc. Sci. & Humanities, Vol 3 pp. 95-104, 2008

भारत में मानवाधिकारों से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधान

रामानन्द गैरोला एवं बिमल गैरोला*

राजनीति शास्त्र विभाग, हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल

*राजनीति शास्त्र विभाग, गढ़वाल विश्वविद्याल परिसर, पौड़ी गढ़वाल

Received 10.11.2008 Accepted 31.12.2008

ABSTRACT

"Human Rights" though having a significant place in political literature since centuries, was concretised and made effective with the universal declaration of human rights by U.N.O. in 1948. The Indian coustitution has been markedly influencedl by this declaration. It has in some respects also been in advance of the human Rights Commission in granting certain human right to its citizens.

Keywords- *Human right, Declaration, Convention, Conservation.*

मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते है जो किसी मनुष्य को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते है। इस अर्थ में ये मनुष्य के जन्मजात अधिकार होते हैं और इन्हें मनुष्य से पृथक नहीं किया जा सकता है। मानव अधिकार मनुष्य जीवन के लिये आवश्यक होने के कारण अहरणीय होते हैं। मानव अधिकार मनुष्य की प्रकृति में अन्तर्निहित होते हैं तथा इनके अभाव में मनुष्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती है।[1]

मानव अधिकारों के इसी महत्त्व के कारण आधुनिक विश्व में मानव अधिकारों के संरक्षण पर विशेष जोर दिया जाता है। 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति तथा सुरक्षा को बनाये रखने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं को संरक्षण प्रदान करने लिये विशेष प्रावधान किये गये। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 68 द्वारा 'आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्' को मानव अधिकारों के लिये आयोग गठन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसी आधार पर 1946 में परिषद् द्वारा मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया।[2] इस आयोग को मानवाधिकारों से सम्बन्धित मूलभूत सिद्धान्तों का दस्तावेज तैयार करने का दायित्व सौंपा गया। आयोग द्वारा तैयार किये गये दस्तावेज को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर 1948 को अंगीकार कर लिया गया, जिसे मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम पर जाना जाता है।

© SHARAD

मानव अधिकारों की घोषणा पत्र में प्रस्तावना सहित 30 अनुच्छेद हैं। इस सार्वभौमिक घोषणा को विश्व के सभी लोगों और सभी राष्टों के लिए एक सामान्य मानक के रूप में इस आशय से उद्घोषित किया गया है कि व्यक्ति और समाज का प्रत्येक अंग इस घोणणा को निरंतर ध्यान मे रखते हुय शिक्षा और संस्कार द्वारा इन अधिकारों और स्वतन्त्रताओं के प्रति जागृत करेगा।[3] मानव अधिकारों की सर्वाभौमिक घोषणा के 30 अनुच्छेदों में मनुष्य के मूलभुत अधिकारों से सम्बन्धित अभिधारणाओं और आधारभूत सिद्धान्तों को व्यापक रूप से अधिकथित किया गया। मानव अधिकारों की घोषणा मात्र व्यक्ति तक सीमित नहीं है। बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र तक भी विस्तृत है।

यद्यपि मानव अधिकारों की घोषणा एक विधिक दस्तावेज नहीं है तथापि इसका स्थानापन्न रूप में विधिक सन्नियमों के सृजन में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।[4] सार्वभौमिक घोषणा के प्रावधानों ने संयुक्तराष्ट्र के भीतर एवं बाहर अनेक अभिसमयों के निर्माण को प्रोत्साहित किया है।[5] द्वितीय महायुद्धोत्तर अनेक देशों के संविधानों पर सार्वभौम घोषणा का प्रभाव पड़ा है। ऐसे देशों में इण्डोनेशिया, कोस्टारिका, सीरिया, एल-सल्वाडोर, हैटी, कैमरून, लीबिया, सूडान, टोगो, गिनी, आइबरी कोस्ट, मैडागास्कर, सिनेगल, माली, सोमालिया आदि देशों के नाम उल्लेखनीय हैं।

भारत संयुक्त राष्ट्र का सक्रिय सदस्य रहा है। मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र की सार्वभौमिक घोषणा का भारत ने यथोचित सम्मान किया है। 10 दिसम्बर 1948 को जब संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया, उस समय भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। स्वतन्त्रता के बाद संविधान सभा का एक मुख्य उद्देश्य नागरिकों की स्वतन्त्रता तथा समानता को अक्षुण्ण बनाये रखना था। अत: सार्वभौमिक घोषणा का भारतीय संविधान निर्माताओं पर भी प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। यही कारण है कि भारतीय संविधान में उन सभी विचारों, आदर्शों, मूल्यों, मानकों, एवं शब्दावालियों का प्रशंसनीय ढंग से उल्लेख किया गया है, जिनका वर्णन मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किया गया है।

संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में सभी सदस्यों ने मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित एक पृथक अध्याय रखने का समर्थन किया। इसी उद्देश्य से संविधान सभा द्वारा बल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विशिष्ट समिति गठित की गई। इस समिति में अल्पसंख्यकों को भी स्थान दिया गया। इसी समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही संविधान के मौलिक अधिकारों के भाग (भाग-तीन) की रचना की गई।

कभी-कभी मानव तथा संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लेकर जनसामान्य में भ्रम देखा जाता है। सामान्यत: मानवीय अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में कोई अन्तर नहीं है। क्योंकि जो मानवीय अधिकार होते हैं, वे ही मौलिक अधिकार भी होते हैं। अथवा जिन अधिकारों को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है, वे मानवीय अधिकारों के अन्तर्गत भी आते है। परन्तु इस आधारभूत समानता के बावजूद दोनों में कुछ भिन्नता भी है। जब मानवीय अधिकारों का संविधान में अल्लेख किय जाता है तथा उनके संरक्षण की संविधान में व्यवस्था होती है, तब उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इस प्रकार कोई मानव अधिकार तभी मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, जबकि उनका संविधान में उल्लेख किया गया हो। किन्तु यहा पर यह भी उल्लेखनीय है कि किसी देश के संविधान में उल्लेख न होने पर भी मानवीय अधिकारों का अस्तित्व होता है। अर्थात् बिना संवैधानिक मान्यता के भी मानवीय अधिकारों का अस्तित्व हो सकता है। प्राय: संविधान में कुछ खास एवं विशेष महत्त्वपूर्ण मानवीय अधिकारों का ही उल्लेख किया जाता है। इस दृष्टि से मौलिक अधिकारों की संख्या सीमित होती है, जबकि मानवीय अधिकार व्यापक तथा विस्तृत होते है। क्योंकि उनकी संख्या मौलिक अधिकारों की अपेक्षा कई अधिक हो सकती है।

जहां तक भारतीय संविधान में वर्णित् मौलिक अधिकारों का प्रश्न है, संविधान में मौलिक अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं की गयी है।[6] परन्तु भारतीय संविधान में उन सभी मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है, जो कि मानवीय समाज में पूर्व से ही प्राकृतिक अधिकारों में सम्मिलित थे तथा जिनका उल्लेख मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में किया गया है।

संविधान निर्माताओं द्वारा इन अधिकारों को संविधान में समाविष्ट करके इन्हें इसलिए सरकारों की शक्ति से परे रखा गय है। ताकि कोई भी सरकार अपने बहुमत की शक्ति का दुरुपयोग करके इन अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। इस प्रकार संविधान में वर्णित् मौलिक अधिकार देश की लोकतान्त्रिक प्रवृत्तियों के अनुरूप है।[7] 1959 में ए0के0 गोपालन बनाम स्टेट ऑफ़ मद्रास के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुये कहा था ''कोई भी सरकार पूरा बहुमत होने पर भी इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकती है।''

भारतीय संविधान में वर्णित् मौलिक अधिकारें की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें विश्व के सभी लिखित संविधानों की अपेक्षा मूलभूत तथा अत्यधिक महत्त्वपूर्ण अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत रखा गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मानवीय अधिकार-

भारतीय संविधान मानवीय अधिकारों को कितना अधिक सम्मान तथा महत्त्व प्रदान करता है इसका अनुमान भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लगाया जा सकता है, जिसमें उच्चतम आदर्शों का प्रतिपादन किया गया है तथा 'समस्त नागरिकों को साामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा अवसर की समता'' जैसी मानवीय स्वतन्त्रताओं तथा अधिकारों के प्रति आस्था व्यक्त की गई है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना सम्पूर्ण विश्व के लिये प्रेरणादायक है। क्योंकि इसमें व्यक्ति की गरिमा का विशेष ध्यान रखा गया है। संविधान की प्रस्तावना के प्रारम्भिक शब्द ''हम भारत के लोग'' एवं अन्तिम शब्द ''इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं'' से स्पष्ट होता है कि संविधान का निर्माण भारत के लोंगों द्वारा किया गया है और उन्होंने ही इसे अंगीकृत करके क्रियान्वित किया है।[8] प्रस्तावना में ये शब्द मानवीय अधिकारों की मूल भावना, व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान को इंगित करते हैं।

भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार:-

प्रस्तावना के अतिरिक्त भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मानवीय अधिकारों से सम्बन्धित है। संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 30 के अन्तर्गत तथा अनुच्छेद 32 में नागरिकों के विभिन्न अधिकारों का उल्लेख किया गया है। संविधान में इन मौलिक अधिकारों को छ: शीर्षो में विभाजित किया गया है। (मूलत: सात शीर्ष सम्पत्ति के अधिकार को 44 वें संशोधन 1978 की धारा 6 द्वारा, (20.06.1979) से निरसित कर दिया गया है।

संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का संक्षिप्त विवेचन निम्नवत है:-

1. **समानता का अधिकार** (अनुच्छेद 14 -अनुच्छेद 18)-संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार समानता का अधिकार है। वस्तुत: यह सभी अधिकारों में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित समानताओं का उल्लेख किया गया है।

(क) विधि के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14)- अनुच्छेद 14 में कहा गया है राज्य भारत क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षरण से वंचित नहीं करेगा।''

(ख) धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध (अनुच्छेद 15) संविधान के अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है कि 'राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा।''

(ग) लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद 16)- संविधान के अनुच्छेद 16(1) में कहा गया है कि ''राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से सम्बन्धित विषयों में सभी नागरिकों के लिये अवसर की समता होगी''।

अनुच्छेद 16(2) में स्पष्ट किया गया है कि ''राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के सम्बन्ध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उदभ व, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद ही किया जायेगा।

(घ) अस्पृश्यता का अन्त (अनुच्छेद 17)- अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि ''अस्पृश्यता का अन्त किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दण्डनीय होगा।''

(ङ) उपाधियों का अन्त (अनुच्छेद 18) संविधान के अनुच्छेद 18 में प्रावधान है कि ''राज्य सेना या विद्या सम्बन्धी सम्मान के सिवाय कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा''।

2. स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19- अनुच्छेद 22) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा भारतीय नागरिकों को विविध प्रकार की स्वतन्त्रतायें प्रदान की गयी है। मूलत: अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को सात प्रकार की स्वतन्त्रतायें में प्रदान की गयी थी। इनमें छठी स्वतन्त्रता 'सम्पत्ति की स्वतन्त्रता' थी। 44 वें संविधान संशोधन (1979) द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकार के साथ सम्पत्ति की स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया गया है। अब अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को निम्न छह प्रकार की स्वतन्त्रतायें प्राप्त है:-

(क) विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

(ख) अस्त्र-शस्त्र रहित तथा शान्तिपूर्वक सम्मेलन की स्वतन्त्रता।

(ग) समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतन्त्रता

(घ) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतन्त्रता

(ङ) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार

(च) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार

उपरोक्त स्वतन्त्रताओं के साथ ही स्वतन्त्रता के अधिकार के अन्तर्गत कुछ अन्य मौलिक अधिकार भी सम्मिलित है जिसमें अपराध की दोष सिद्धि के सम्बन्ध में संरक्षण (अनुच्छेद 20), प्राण और वैदिक स्वतन्त्रता का संरक्षण (अनुच्छेद 21), शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21)- (6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा), निरोध से संरक्षण (अनुच्छेद 22) आदि महत्त्वपूर्ण हैं।

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार- (अनुच्छेद 23- अनुच्छेद 24)- संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा मानव के दुर्व्याहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। जबकि अनुच्छेद 24 द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने आदि में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है।

4. धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)- भारतीय संविधान में धर्म की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में निम्नलिखित स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया गया है।-

(क) अन्त: करण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 25)

(ख) धार्मिक कार्यो के प्रबन्ध की स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 26)

(ग) किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 27)

(घ) कुछ शिक्षा संख्याओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतन्त्रता (अनुच्छेद 28)

5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार- (अनुच्छेद 29-30)-संस्कृति एवं शिक्षा एवं शिक्षा के सम्बन्ध में संविधान में निम्न व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है।

(क) अल्प संख्यक वर्गो के हितों का संरक्षण (अनुच्छेद 29)-अनुच्छेद 29 द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बचाये रखने का अधिकार दिया गया है।

(ख) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गो का अधिकार (अनुच्छेद 30)- अनुच्छेद 30 द्वारा धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गो को अपनी रूचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है।

6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)- अनुच्छेद 32 द्वारा भाग तीन के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। उच्चतम न्यायाल को अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट या आदेश जारी करने की शक्ति की गयी है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व तथा मानवीय अधिकार:-

भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निदेशक तत्वों में कई ऐसे मानवाधिकारों को स्थान दिया गया है जिनका उल्लेख मानवीय अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में किया गया है। नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत वर्णित ऐसे प्रमुख मानव अधिकार निम्नलिखित है:-

1. समान रूप से जीविका साधन प्राप्त करने का अधिकार (अनुच्छेद 39)
2. समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता (अनुच्छेद 39 क)
3. काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार (अनुच्छेद 41)
4. काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति का उपबन्ध (अनुच्छेद 43)
5. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनतातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि (अनुच्छेद 46)

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तथा भारतीय संविधान :-

भारतीय संविधान के निर्माता स्पष्टतया मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) से प्रभावित थे। इसीलिये सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित कई महत्त्वपूर्ण अधिकारों को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है। ऐसे अधिकारों में जीवन, स्वतन्त्रता एवं सुरक्षा विधि के समक्ष समानता, कार्योत्तर विधि से संरक्षण, विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता, संघ बनाने

का अधिकार आदि मुख्य हैं।

मानव अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदायें और भारतीय संविधान :-

1951 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने मानव अधिकार आयोग को निम्नलिखित दो अभिसमयों का प्रारूप तैयार करने को कहा :-

(क) नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों का अभिसमय

(ख) आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अभिसमय

सन् 1954 में मध्य तक आयोग ने अपना कार्य सम्पन्न करके प्रसंविदाओं का प्रारूप महासभा के समक्ष प्रस्तुत किया। 16 दिसम्बर 1966 को महासभा ने अपने प्रस्ताव द्वारा अन्तिम रूप से दोनों प्रसंविदाओं को स्वीकृति प्रदान की।

भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवम्बर 1949 को हो चुका था, जबकि उपरोक्त दोनों प्रसंविदायें काफी बाद में सन् 1966 में बन कर तैयार हुयी। लेकिन इन दोनों प्रसंविदाओं में क्रमशः जिन प्रमुख नागरिक तथा राजनीतिक अधिकरों तथा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान में पहले ही उनका उल्लेख किया जा चुका था। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा में वर्णित महत्त्वपूर्ण अधिकारों का भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत उल्लेख देखने को मिलता है। जबकि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा में वर्णित अधिकरों का भारतीय संविधान के भग 4 में अनुच्छेद 36 से 31 के अन्तर्गत उल्लेख देखने को मिलता है। इससे स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में उल्लेखित महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रसंविदाओं के अनुमोदन एवं क्रियान्वयन से पूर्व ही भारतीय नागरिकों को संविधान के माध्यम से उपलब्ध थे।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों की प्रसंविदा तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा में कुछ अन्य अधिकार भी है जिनका संविधान के भाग-तीन में मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत तथा भाग'चार में निर्देशक तत्वों के अन्तर्गत कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के भाग -तीन में उल्लिखित मूल अधिकारों को मान्यता दी है। उदाहरण के लिये पीपुल्स युनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया (1997) के मामले में न्यायालय ने कहा है कि 'एकान्तता का अधिकार'' अनुच्छेद 21 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राण तथा दैहिक स्वतन्त्रता के

अधिकार में सम्मिलित है। टेलीफोन टेप करना व्यक्ति के एकान्तता के अधिकार में सीधा हस्तक्षेप है और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए जब सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिये आवश्यक हो।

प्रेम शंकर शुक्ल बनाम दिल्ली प्रशासन (1980)[9] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि जहां आत्यावश्यक परिस्थितियों में कैदियों को हथकड़ी लगायी जानी है, वहां अधिकारी द्वारा उसी समय ऐसा करने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए और कारणों को पीठासीन न्यायाधीश के समक्ष पेश करके उनका अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। यदि न्यायालय द्वारा हथकड़ी हटाने का निर्देश दिया जाता है तब कोई अधिकारी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता।

1978 में एम0एच0 होस्काट बनाम महाराष्ट्र[10] राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अवधारित किया कि अभियुक्त कैदी को निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दण्ड संहिता 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, सती निरोध अधिनियम 1987, मातृत्व सुरक्षा अधिनियम 1961, बंधुवा मजदूर तथा समाप्ति अधिनियम 1976 आदि कई अन्य अधिनियमों द्वारा भी कई मानावीय अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया गया है।

निष्कर्ष-

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में मानवीय अधिकरों के संरक्षरण एवं सम्वर्धन की दिशा में महत्त्वपूर्ण पहल हुयी है। संविधान द्वारा जहा मानवीय अधिकारों के संरक्षण के लिये संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था की गयी है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न केवल संवैधानिक अधिकारों की व्याख्या करके विस्तारित किया गया है बल्कि उन्हें अभिनिर्धारित करके सुधारा भी गया है।[11] न्यायालय द्वारा कई अन्य अधिकारों को मौलिक अधिकारों की मान्यता दी गयी है। इस तरह मानवीय अधिकारों के प्रति न्यायालय का रवैया सकारात्मक रहा है।[12]

आवश्यकता इस बात की है कि सभी नागरिक मानवीय अधिकारों के महत्त्व को समझें, प्रत्येक नागरिक को जहां अपने अधिकारों के प्रति सचेष्ट एवं सजग रहना चाहिए, वहीं उसका यह भी कर्तव्य है कि उसके द्वारा दूसरे के मानवीय अधिकारों अथवा मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण न हो, तभी संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा मानवीय स्वतन्त्रताओं का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है।

सन्दर्भः-

1. रामानन्द गैरोला, अर्न्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार, प्रकाशक बुक डिपो, बरेली (2008) पृ. 343
2. संयुक्त राष्ट्र महासभा, प्रस्ताव 7(1)
3. लुईस होन्किन, द यूनाइटेड नेशनल, एण्ड ह्यूमन राइट्स इण्टरनेशनल आर्गेनाइजेशन, वोल्टूम 21, संख्या 3, समर, 1965), पृ. 504, 517
4. पामर एण्ड परकिन्स, इन्टरनेशनल रिलेशन्स द वर्ल्ड कम्यूनिटी इन ट्रान्सिट, तटीय भारतीय संस्करण (1970), पृ. 370
5. रामानन्द गैरोला पूर्वोक्त, पृ. 367
6. जय नारायण पाण्डेय, भारत का संविधान, बत्तीसवां संस्करण, (2000) सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, इलाहाबाद, पृ. 54।
7. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास रप्य, ए. आई.आर. (1950), ए. सी. 27।
8. एस. के कूपर, मानव अधिकार, द्वितीय संस्करण, (2005), सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ. 193।
9. ए.आई.आर. (1980) एस.सी. 898
10. ए.आई.आर. (1979) एस.सी. 554
11. एस. के. कपूर, पूर्वोक्त, पृ. 202
12. जे.जे. आर. उपाध्याय, मानव अधिकार, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, पृ. 89।